

DUMKA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : M989862240124044236

Date : 24-01-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री : SEULI GORAIN W/O HIMANGSHU KUMAR MANDAL

मोहल्ला : GRANT ESTATE, BEHIND CARRIER PRESS, IN FRONT OF ARTI VATIKA IN WEST DIRECTION ,DUMKA DUMKA
DUMKA , 814101 Mob : 7739556146एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0200000112000M0 वार्ड सं. 20 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0.00/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

औपबंधिक संवीक्षा सूचना				
क्रम सं.	व्यौर	स्वनिर्धारित	निगम के कर संग्रहता के द्वारा निर्धारित	परिवर्ती कर
1.	वार्षिक किराया दर	0.00	0.00	0.00
2.	गृह कर	101.00	101.00	0.00
3.	जल कर	0.00	0.00	0.00
4.	शौचालय कर	0.00	0.00	0.00
5.	बिजली कर	0.00	0.00	0.00
6.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00	0.00	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		101.00	101.00	0.00

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
DUMKA NAGAR PARISHAD

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- किसी देय घुति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- DUMKA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- without prejudice to land right

Print